न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- श्री [illegible] (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/2016

1. भैरू सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत सा. भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमति अंजना कंवर पत्नी श्री किशन सिंह भाटी पुत्री सुल्तान सिंह जाति राजपूत सा. [illegible] 3/308 हाउसिंग बोर्ड वार्ड नं. 10 नया कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. मृतक श्रीमति [illegible] कंवर पत्नी श्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. [illegible] कंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत सा. भोजेवाला
3. [illegible] कंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत सा. भोजेवाला
4. [illegible] कंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत सा. भोजेवाला
5. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई सा. चक 4 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर
6. हनुमान पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई सा. चक 8 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर
7. सुभाष पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई सा. चक 8 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर
8. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई सा. सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़
9. राजकुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई सा. सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़
10. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजस्व जैतसर।
11. उप पंजीयक श्रीविजयनगर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री राजेन्द्र शर्मा
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री सुभाष चन्द्र

निर्णय दिनांक 06.02.2018

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर का [illegible] उत्तरवादीगण नं. 5 ता 9 के पक्ष में वसीयत निर्णय दि. 26.02.2006 इन्तकाल नं. 141 [illegible] द्वारा उत्तरवादीगण नं. 5 ता 9 के पक्ष में वसीयत का इन्तकाल पारित किया गया है जो कानून के खिलाफ व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से रखने योग्य नहीं है।

अपीलान्टगण व उत्तरवादीगण नं. 1 के पति व 2 ता 4 के पिता सुल्तानसिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह जाति राजपूत सा. भोजेवाला के नाम से तहसील श्रीविजयनगर के चक 8 बीजीडी के खाता नं. 6/3 के मुरब्बा नं. 157/382 के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है. कमाण्ड अनकमाण्ड एवं खाता नं. 3/2 के मुरब्बा नं. 157/383 के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 है. कमाण्ड इस प्रकार कुल 12.650 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

अपीलान्टगण के पिता सुल्तान पुत्र [illegible] सिंह का स्वर्गवास दि. 07.02.1987 को हो चुका है एवं अपीलाधीन आदेश द्वारा उत्तरवादी नं. 5 ता 9 द्वारा दि. 26.06.2006 को कूट रचित वसीयत तैयार करके अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली।

अपीलान्टगण को उक्त भूमि की वसीयत बाबत कोई ज्ञान नहीं है एवं अपीलांट के पिता द्वारा [illegible] की अपने जीवन काल में कोई वसीयत कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं की गई थी क्योंकि अपीलांट के पिता ग्राम भोजेवाला छोड़ कर कहीं नहीं गये थे। इस प्रकार वसीयत [illegible] तैयार की गई थी। अपीलांट एवं उत्तरवादी नं. 1 ता 4 प्रथम श्रेणी के वारिस होने से अपने पिता की भूमि पर हक रखते है।

अपीलान्टगण के पिता की भूमि का उत्तरवादीगण नं. 5 ता 9 द्वारा ही आज तक काश्त किया जाता आ रहा है। इस बात का फायदा उठाकर उत्तरवादीगण नं. 5 ता 9 ने उक्त भूमि की फर्जी वसीयत तैयार कर अपने नाम भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा लिया है।

दिनांक 02.07.2015 को अपीलान्टगण द्वारा उत्तरवादीगण नं. 5 ता 9 से [illegible] का [illegible] पर उत्तरवादीगण नं. 5 ता 9 नाराज हो गए और अपीलांट को कहा कि हमने उक्त भूमि की वसीयत कब्जाकर हमारे नाम दर्ज करवा ली है। अब उक्त भूमि के बाबत लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं अब आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा किये गये इंतकाल नं. 141 दि. 26.02.2006 को निरस्त किया जाकर मुताबिक वारिस नामा के अपीलांटगण के नाम से इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

2. अपील सं. 67/2015 पर दर्ज की गई व उभय रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा हाजिर हुए व रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री सुभाष मना उपस्थित हुए।

3. यह कि अपीलांट ने दि. 06.10.2017 को न्यायालय में प्रा. पत्र देकर सूचित किया है कि प्रतिवादी नं. 1 श्रीमति गंगाकंवर का देहान्त हो चुका है। अपने प्रा. पत्र में अंकित किया है कि गंगाकंवर के जायज वारिस पूर्व में इस अपील में पक्षकार है। उत्तरवादियों ने इस प्रा. पत्र का कोई विरोध नहीं किया है। इसलिए अपीलांट का प्रा. पत्र दि. 06.10.2017 स्वीकार जाता है तथा मृतक उत्तरवादी नं. 1 का नाम कलमजद किया जाता है।

अपीलांट के अभिभाषक के द्वारा दि. 06.12.2017 को एक प्रा. पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रा. पत्र दस्तावेज अपील के साथ संलग्न करने का निवेदन किया। इस प्रा. पत्र का जवाब रेस्पोडेंट ओमप्रकाश वगैरह ने जरिये वकील प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि अपील स्तर पर बिना विशेष कारण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है। दोयम, प्रस्तुत प्रा. पत्र के साथ जो दस्तावेजी साक्ष्य जो अपीलांट ने पेश किये हैं वो फोटो प्रतियां हैं जो कानूनन साक्ष्य में साहय नहीं हो सकती है। अपीलांट्स इस जवाब का कोई खण्डन नहीं कर सके ।

दिनांक 13.12.2017 को रेस्पोडेन्ट्स ओमप्रकाश, हनुमान , बुधराम ने एक प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रा. पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य शपथ पत्र, श्रीमति गंगाकंवर पत्नी सुल्तानसिंह, अचहुकंवर, भैरूसिंह, शायर कंवर, अंजन कंवर, चंदर कवर पुत्र–पुत्रियां सुल्तानसिंह ने दि. 3.02.2006 को पेश किया। जिसे उचित न्याय हित में पढा जाना अति आवश्यक है। प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट भैरूसिंह आदि की तरफ से उनके अभिभाषक ने ए प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 57 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। इस प्रा.पत्र का जवाब रेस्पोडेंट ओम प्रकाश वगैरह ने अपने अभिभाषक के माध्यम से दि. 05.01.2018को पेश किया और प्रार्थी के प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया।

अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उभय पक्ष ने जो– जो नजीरे पेश की उनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दि. 06.12.2017 आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का नियम विरूद्ध प्रस्तुत हुआ होने के कारण अस्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दि. 13.12.2017 स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दि. 15.12.2017 को कानून सम्मत नही होने से व धारा 57 के प्रावधानों के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

इस अपील में संलग्न प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनना व उसका निर्णय करना कानूनन अनिवार्य है। अपीलांट/प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रा. पत्र में अंकित कथनों के आधार पर हुई देरी को माफ किया जाकर अपील की सुनवाई की जावें। रेस्पोडेंट ओमप्रकाश वगैरह में अपने अभिभाषक के माध्यम से धारा 5 में प्रा.पत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र धारा 5 सद्भाविक नहीं है। असत्य कथनों के साथ पेश किया है। न्यायालय के समक्ष विद् क्लीन हैन्डेड नही आये हैं। प्रा.पत्र तथाकथित वसीयत का इंतकाल दर्ज होते समय सुल्तानसिंह के वारिसों के द्वारा सहमति का शपथ पत्र निस्पादित किया था। जिससे स्पष्ट होते है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को प्रथम दिन से ही अच्छी तरह से थी तथा यह आदेश राजस्व तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दि. 26.02.2006 को पारित किया है। उस आदेश के विरूद्ध यह अपील दि. 30.07.2015 को पेश की गई है व दि. 06.08.2015 को दर्ज की गई है। इस प्रकार यह अपील अपीलांट्स के द्वारा घोर लापरवाही करते हुए पेश की है। अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहे हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के करीब साढे आठ वर्ष अवधि के बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के बारे में कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किए हैं। सुल्तानसिंह की मृत्यु 1987 में होने के बाद अपील 2015 में प्रस्तुत की मगर इस बीच के लगभग 28 वर्ष के समय में अपीलांटगण द्वारा विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने की कोई कार्यवाई नहीं करना अपने आप में घोर लापरवाही प्रमाणित हो रही है। अपीलांट के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत दृष्टांत पेश किये है वो इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। उनके तथ्य भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर

Scanned by CamScanner

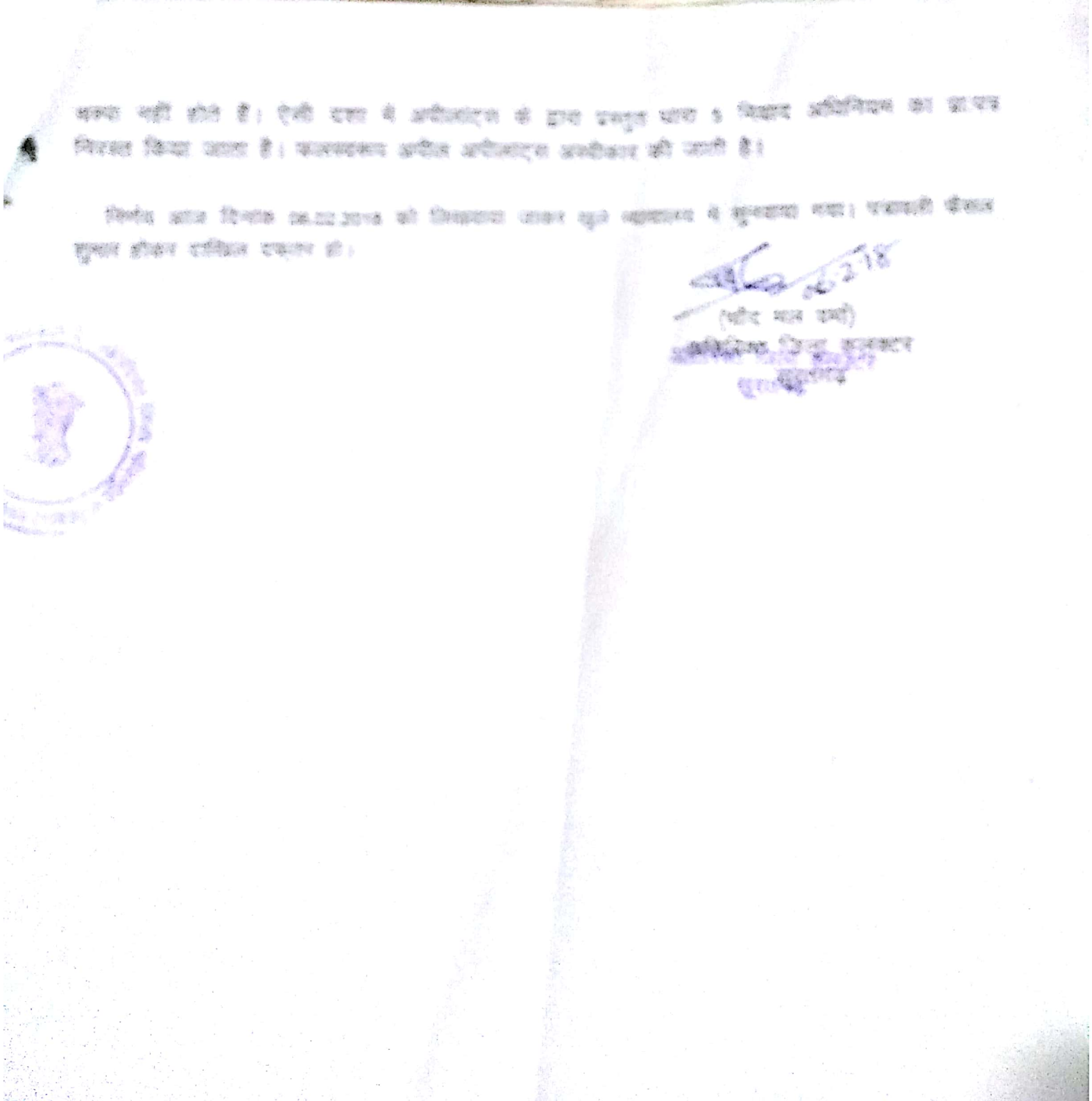

सफल नहीं होते हैं। ऐसी दशा में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को [illegible] [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

06.2.18

([illegible])

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

[illegible]